out but these could not be executed due to non-availability of police force and administrative reasons.

Conversion of Leasehold into Freehold

1746. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attentions has been drawn to a news item published in the Hindustan Times dated the 6th July, 1992 captioned DDA over looks important points in conversion rule' regarding the statues of lessees which is causing much concern and apprehension among them;

(b) whether it is a fact that the conversion of leasehold rights into free-hold has been envisaged in favour of a single lessee only and not in favouro fall its co-lessees; and

(c) if so, whether Government propose to amend the rules to make eligible for conversion co-lessees as at present leases of more than 50 percent DDA flats have been executed jointly in the names of husband and wife indicating also the time-limit set for conversion purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) No Sir. In the case of properties eligible for conversion to freehold where the lease is in the name of more than one lessee, the application would have to be made in the name of all co-lessees. This is laid down in the guidelines contained in the brochure issued by the DDA. In such cases, the freehold rights would be granted by DDA jointly in the name of the co-lessees.

(c) Does not arise in view of (b)

Construction of Holiday Inn

1747. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the N.D.M.C. has leased land in 1985 for the construction of Holiday Inn to M|s Bharat Hotels;

(b) whether this land cannot be further leasedor mortagaged to a third party but structures can be built on it; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) A plot of land at Barakhamba Road was given on lease to New Delhi Municipal Committee by Government. According to the conditions of lease, NDMC could not sub-lease the land in favour of any other party. However, they could make such arrangements for constructing and running a hotel as will not involve sub-leasing of the plot. The NDMC granted a licence to M|s. Bharat Hotels Ltd. in 1982 for constructing and commissioning a 5-star hotel on the said plot.

उत्तर प्रदेश में शहरी मूल सेवा योजना

1748. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन शहरों के नाम क्या-क्या हैं जिनका विकास वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान "शहरी मूल सेवा योजना" के अंतर्गत किया गया है ; और

(ख) यह विकास-कार्य शहर-वार कितने-कितने प्रतिशत पूरा हो गया है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू.बी.एस.) 1990 में संशोधित की गई थी तथा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा (यू. बी.एस.पी.) नामक एक नई योजना 1990–91 में प्रारंभ की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अंतर्गत 1990–91 और 1991–92 के दौरान निम्नलिखित 22 शहरों को लिया गया है :–

1. लखनऊ
2. कानपुर
3. आगरा
4. इलाहाबाद
5. वाराणसी
6. मेरठ
7. बरेली
8. गोरखपुर
9. फैजाबाद
10. फतेहपुर
11. फरूखाबाद
12. बलिया
13. अलीगढ़
14. मुरादाबाद
15. मिर्जापुर
16. शाहजहानपुर
17. गाजियाबाद
18. हरदोई
19. हापुड
20. फिरोजाबाद
21. गोंडा
22. मथुरा ।

(ख) राज्य के भीतर विभिन्न नगरों को केंद्रीय निधियों का नियतन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। शहरी मूलभूत सेवा/निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाएं अनुभव की जा रही स्लम निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं और इस प्रकार कार्य की प्रकृति और सीमा नगर-दर-नगर भिन्न है। वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान उत्तर प्रदेश को शहरी मूलभूत सेवा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 410 लाख रु० और 357.60 लाख रु० की केंद्रीय निधियां रिलीज की गई थी।

गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को आवास निर्माण हेतु सहायता

1749. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आवास-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान कितने आवास बनाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केंद्र की नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना से आवास और आश्रय सुधार के लिए सहायता उपलब्ध है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को उनके मकानों के सुधार के लिए राज्य और स्थानीय अभिकरणों के माध्यम से 800 रुपए प्रति मकान की दर से केन्द्रीय सब सीडी के साथ 3000 रुपए तक हुडको ऋण और 200 रुपए की दर से राज्य सरकार की सबसीडी दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के परिवारों के लिए मकान बनाने हेतु राष्ट्रीयस्तर 100 प्रतिशत पर केंद्रीय सहायता के प्रावधान की इंदिरा